

LAW ENFORCEMENT

Mutual Legal Assistance

Treaty Between the UNITED STATES OF AMERICA and INDIA

Signed at New Delhi October 17, 2001

with

Forms



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDIA

Law Enforcement: Mutual Legal Assistance

*Treaty signed at New Delhi October 17, 2001;
Transmitted by the President of the United States of America
to the Senate April 8, 2002 (Treaty Doc. 107-3,
107th Congress, 2d Session);
Reported favorably by the Senate Committee on Foreign Relations
October 8, 2002 (Senate Executive Report No. 107-15,
107th Congress, 2d Session);
Advice and consent to ratification by the Senate
November 15, 2002;
Ratified by the President January 29, 2003;
Ratified by India July 1, 2005;
Ratifications exchanged at New Delhi October 3, 2005;
Entered into force October 3, 2005.
With forms.*

TREATY BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

TABLE OF CONTENTS

Article 1.....	Scope of Assistance
Article 2.....	Central Authorities
Article 3.....	Limitations on Assistance
Article 4.....	Form and Contents of Request
Article 5.....	Execution of Requests
Article 6.....	Costs
Article 7.....	Limitations on Use
Article 8.....	Testimony or Evidence in the Requested State
Article 9.....	Records of Government Agencies
Article 10.....	Appearance Outside the Requested State
Article 11.....	Transfer of Persons in Custody
Article 12.....	Transit of Persons in Custody
Article 13.....	Location or Identification of Persons or Items
Article 14.....	Service of Documents
Article 15.....	Search and Seizure
Article 16.....	Return of Items
Article 17.....	Assistance in Forfeiture Proceedings
Article 18.....	Compatibility with Other Treaties
Article 19.....	Consultation
Article 20.....	Ratification, Entry Into Force, and Termination
Form A.....	Certificate of Authenticity of Business Records
Form B.....	Certification of Absence or Nonexistence of Business Records
Form C.....	Attestation of Authenticity of Foreign Public Documents
Form D.....	Certification of Absence or Nonexistence of Official Records
Form E.....	Attestation with Respect to Seized Items

The Government of the United States of America and The Government of the Republic of India, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to improve the effectiveness of the law enforcement authorities of both states in the investigation, prosecution, prevention, and suppression of crimes, including those relating to terrorism, narcotics trafficking, economic crimes, and organized crime, through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters,

Have agreed as follows:

Article 1

Scope of Assistance

1. The Contracting Parties shall provide the widest measure of mutual assistance to each other, in accordance with the provisions of this Treaty, in connection with the investigation, prosecution, prevention and suppression of offenses, and in proceedings related to criminal matters.

2. Assistance shall include:

- a) taking the testimony or statements of persons;
- b) providing documents, records, and items of evidence;
- c) locating or identifying persons or items;
- d) serving documents;
- e) transferring persons in custody for testimony or other purposes;
- f) executing requests for searches and seizures;
- g) assisting in proceedings related to seizure and forfeiture of assets, restitution, collection of fines; and
- h) any other form of assistance not prohibited by the laws of the Requested State.

3. Assistance shall be provided without regard to whether the conduct that is the subject of the investigation, prosecution, or proceeding in the Requesting State would constitute an offense under the laws of the Requested State.

4. This Treaty is intended solely for mutual legal assistance between the Contracting Parties. The provisions of this Treaty shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress, or exclude any evidence, or to impede the execution of a request.

Article 2

Central Authorities

1. Each Contracting Party shall designate a Central Authority to make and receive requests pursuant to this Treaty.

2. For the United States of America, the Central Authority shall be the Attorney General or a person designated by the Attorney General. For India, the Central Authority shall be the Ministry of Home Affairs or a person designated by the Ministry of Home Affairs.

3. The Central Authorities shall communicate directly with one another for the purposes of this Treaty.

Article 3
Limitations on Assistance

1. The Central Authority of the Requested State may deny assistance if:
 - a) the request relates to an offense under military law that would not be an offense under ordinary criminal law;
 - b) the execution of the request would prejudice the security or similar essential interests of the Requested State;
 - c) the request relates to a political offense; or
 - d) the request is not made in conformity with the Treaty.
2. For the purposes of this Treaty, the following offenses shall not be considered to be political offenses:
 - a) a murder of other willful crime against the person of a Head of State or Head of Government of one of the Contracting Parties, or of a member of the Head of State's or head of Government's family;
 - b) aircraft hijacking offenses, as described in The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on December 16, 1970;
 - c) acts of aviation sabotage, as described in the Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on September 23, 1971;
 - d) crimes against internationally protected persons, including diplomats, as described in the Convention on the Prevention and Punishment of crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, done at New York on December 14, 1973;
 - e) hostage taking as described in the International Convention Against the taking of Hostages, done at New York on December 17, 1979;
 - f) offenses related to illegal drugs, as described in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on March 30, 1961, the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at Geneva on March 25, 1972, and the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, done at Vienna on December 20, 1988;
 - g) any other offense within the scope of a multilateral terrorism convention to which both Contracting Parties are a party; and

- h) a conspiracy or attempt to commit any of the foregoing offenses, or aiding or abetting a person who commits or attempts to commit such offenses.

3. Before denying assistance pursuant to this Article, the Central Authority of the Requested State shall consult with the Central Authority of the Requesting State to consider whether assistance can be given subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting State accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.

4. If the Central Authority of the Requested State denies assistance, it shall inform the Central Authority of the Requesting State of the reasons for the denial.

Article 4

Form and Contents of Requests

1. A request for assistance shall be made in writing except that the Central Authority of the Requested State may accept a request made otherwise in urgent situations. If the request is not in writing, it shall be confirmed in writing within ten days thereafter unless the Central Authority of the Requested State agrees otherwise. The request shall be in English unless otherwise agreed.

2. The request shall include the following:

- a) the name of the authority conducting the investigation, prosecution, or proceeding to which the request relates;
- b) a description of the subject matter and nature of the investigation, prosecution, or proceeding, including the specific criminal offenses which relate to the matter;
- c) a description of the evidence, information, or other assistance sought;
- and
- d) a statement of the purpose for which the evidence, information, or other assistance is sought.

3. To the extent necessary and possible, a request shall also include:

- a) information on the identity and location of any person from whom evidence is sought;

- b) information on the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the proceedings, and the manner in which service is to be made;
- c) information on the identity and suspected location of a person or item to be located;
- d) a precise description of the place or person to be searched and of the items to be seized;
- e) a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded;
- f) a list of questions to be asked of a witness;
- g) a description of any particular procedure to be followed in executing the request;
- h) information as to the allowances and expenses to which a person asked to appear in the Requesting State will be entitled; and
- i) any other information that may be brought to the attention of the Requested State to facilitate its execution of the request.

Article 5

Execution of Requests

1. The Central Authority of the Requested State shall promptly execute the request or, when appropriate, shall transmit it to the authority having jurisdiction to do so. The competent authorities of the Requested State shall do everything in their power to execute the request. The Courts of the Requested State shall have authority to issue subpoenas, search warrants, or other orders necessary to execute the request.

2. The Central Authority of the Requested State shall make all necessary arrangements for the representation in the Requested State of the Requesting State in any proceedings arising out of a request for assistance.

3. Requests shall be executed in accordance with the laws of the Requested State except to the extent that this Treaty provides otherwise. The method of execution specified in the request shall be followed except insofar as it is prohibited by the laws of the Requested State.

4. The Requested State shall not decline execution of a request on the ground of bank secrecy.

5. If the Central Authority of the Requested State determines that execution of a request would interfere with an ongoing criminal investigation, prosecution, or proceeding in that State, it may postpone execution, or make execution subject to conditions determined necessary after consultations with the Central Authority of the Requesting State. If the Requesting State accepts the assistance subject to the conditions, it shall comply with the conditions.

6. The Requested State shall use its best efforts to keep confidential a request and its contents if such confidentiality is requested by the Central Authority of the Requesting State. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Central Authority of the Requested State shall so inform the Central Authority of the Requesting State, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

7. The Central Authority of the Requested State shall respond to reasonable inquiries by the Central Authority of the Requesting State on progress toward execution of the request.

8. The Central Authority of the Requested State shall promptly inform the Central Authority of the Requesting State of the outcome of the execution of the request. If execution of the request is denied, delayed, or postponed, the Central Authority of the Requested State shall inform the Central Authority of the Requesting State of the reasons for the denial, delay, or postponement.

Article 6

Costs

The Requested State shall pay all costs relating to the execution of the request, including the costs of representation, except for the fees of expert witnesses, the costs of translation, interpretation, and transcription, and the allowances and expenses related to travel of persons pursuant to Articles 10 and 11, which costs, fees, allowances, and expenses shall be paid by the Requesting State.

Article 7

Limitations on Use

1. The Central Authority of the Requested State may request that the Requesting State not use any information or evidence obtained under this Treaty in any investigation,

prosecution, or proceeding other than that described in the request without the prior consent of the Central Authority of the Requested State. If the Requested State makes such a request, the Requesting State shall comply with the conditions.

2. The Central Authority of the Requested State may request that information or evidence furnished under this Treaty be kept confidential or be used only subject to terms and conditions it may specify. If the Requesting State accepts the information or evidence subject to such conditions, the Requesting State shall use its best efforts to comply with the conditions.

3. Nothing in this Article shall preclude the use or disclosure of information or evidence to the extent that such information or evidence is exculpatory to a defendant in a criminal prosecution. The Requesting State shall notify the Requested State in advance of any such proposed disclosure.

4. Information or evidence that has been made public in the Requesting State pursuant to paragraph 1 or 2 may thereafter be used for any purpose.

Article 8

Testimony or Evidence in the Requested State

1. A person in the Requested State from whom evidence is requested pursuant to this Treaty shall be compelled, if necessary, to appear and testify or produce items, including documents and records.

2. Upon request, the Central Authority of the Requested State shall furnish information in advance about the date and place of the taking of the testimony or evidence pursuant to this Article.

3. The Requested State shall permit the presence of specified persons during the execution of the request, and shall allow such persons to pose questions to be asked of the person giving the testimony or evidence.

4. If the person referred to in paragraph 1 asserts a claim of immunity, incapacity, or privilege under the laws of the Requesting State, the evidence shall nonetheless be taken and the claim made known to the Central Authority of the Requesting State for resolution by the authorities of that State.

5. Insofar as not prohibited by the law of the Requested State, evidence which has been produced in the Requested State pursuant to this Article or which has been the subject of testimony taken under this Article shall be transmitted in a form or accompanied by such certification as may be requested by the Requesting State in order to make it admissible according to the law of the Requesting State. Where the United States is the Requesting State,

such documents shall, upon request, be authenticated by Form A and the absence or nonexistence of such records shall, upon request, be certified by Form B. Such documents and forms shall be admissible in evidence in the United States.

Article 9

Records of Government Agencies

1. The Requested State shall provide the Requesting State with copies of publicly available records related to the request, including documents or information in any form, in the possession of government departments and agencies in the Requested State.

2. The Requested State may provide copies of any records related to the request, including documents or information in any form, that are in the possession of a government department or agency in that State but which are not publicly available, to the same extent and under the same conditions as such records would be available to the Requested State's own law enforcement or judicial authorities. The Requested State may in its discretion deny, entirely or in part, a request pursuant to this paragraph.

3. Insofar as not prohibited by the laws of the Requested State, records produced pursuant to this Article shall, upon request, be authenticated by the official responsible for maintaining them and transmitted in a form or accompanied by such certification as may be requested by the Requesting State in order to make them admissible according to the law of the Requesting State. Where the United States is the Requesting State, such documents shall, upon request, be authenticated by Form C and the absence or nonexistence of such records shall, upon request, be certified by Form D. Such documents and forms shall be admissible in evidence in the United States.

Article 10

Appearance Outside the Requested State

1. When the Requesting State requests the appearance of a person outside the Requested State, the Requested State shall invite the person to so appear. The Requesting State shall indicate the extent to which the person's expenses will be paid. The Central Authority of the Requested State shall promptly inform the Central Authority of the Requesting State of the person's response.

2. A person appearing in the Requesting State pursuant to this article shall not be subject to service of process, or be detained or subjected to any restriction of personal liberty, by reason of any acts or convictions which preceded that person's departure from the Requested State.

3. The safe conduct provided for by this Article shall cease ten days after the Central Authority of the Requesting State has notified the Central Authority of the Requested State that the person's presence is no longer required, or when the person, having left the Requesting State, voluntarily returns to it. The Central Authority of the Requesting State may, in its discretion, extend this period up to twenty days for it determines that there is good cause to do so.

Article 11

Transfer of Persons in Custody

1. A person in the custody of the Requested State whose presence in the Requesting State is sought for purposes of assistance under this Treaty shall be transferred from the Requested State for that purpose if the person consents and if the Central Authorities of both States agree.

2. A person in the custody of the Requesting State whose presence in the Requested State is sought for purposes of assistance under this Treaty may be transferred from the Requesting State to the Requested State if the person consents and if the Central Authorities of both States agree.

3. For purposes of this Article:

- a) the receiving State shall have the authority and the obligation to keep the person transferred in custody unless otherwise authorized by the sending State;
- b) the receiving State shall return the person transferred to the custody of the sending State as soon as circumstances permit or as otherwise agreed by both Central Authorities;
- c) the receiving State shall not require the sending State to initiate extradition proceedings for the return of the person transferred; and
- d) the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the sending State for time served in the custody of the receiving State.

Article 12

Transit of Persons in Custody

1. The Requested State may authorize the transit through its territory of a person held in custody, by the Requesting State or a third State, whose personal appearance has been requested by the Requesting State in an investigation, prosecution, or proceeding.
2. The Requested State shall have the authority and the obligation to keep the person in custody during transit.

Article 13

Location or Identification of Persons or Items

If the Requesting State seeks the location or identity of persons or items in the Requested State, the Requested State shall use its best efforts to ascertain such location or identity.

Article 14

Service of Documents

1. The Requested State shall use its best efforts to effect service of any document relating, in whole or in part, to any request for assistance made by the Requesting State under the provisions of this Treaty.
2. The Requesting State shall transmit any request for the service of a document requiring the appearance of a person before an authority in the Requesting State within a reasonable time before the scheduled appearance.
3. The Requested State shall return a proof of service in the manner specified in the Request.

Article 15

Search and Seizure

1. The Requested State shall execute a request for the search, seizure, and delivery of any item to the Requesting State if the request includes the information justifying such action under the laws of the Requested State.
2. Upon request, every official who has custody of a seized item shall certify the identity of the item, the continuity of custody, and any changes in its condition. For the United States such certification shall, upon request, be made through the use of Form E and shall be admissible in evidence in the United States. No further certification shall be required.
3. The Central Authority of the Requested State may require that the Requesting State agree to terms and conditions deemed necessary to protect third party interests in the item to be transferred.

Article 16

Return of Items

The Central Authority of the Requested State may require that the Central Authority of the Requesting State return any items, including documents and records, furnished to it in execution of a request under this Treaty.

Article 17

Assistance in Forfeiture Proceedings

1. If the Central Authority of one Contracting Party becomes aware of proceeds or instrumentalities of crimes which are located in the territory of the other Contracting Party and may be forfeitable or otherwise subject to seizure under the laws of that Contracting Party, it may so inform the Central Authority of the other Contracting Party. If that other Contracting Party has jurisdiction in this regard, it may present this information to its authorities for a determination whether any action is appropriate. These authorities shall issue their decision in accordance with the laws of their country, and shall, through their Central Authority, report to the other Contracting Party on the action taken.
2. The Contracting Parties shall assist each other to the extent permitted by their respective laws in proceedings relating to the forfeiture of the proceeds and instrumentalities of

offenses, restitution to the victims of crime, and the collection of fines imposed as sentences in criminal prosecutions. This may include, as appropriate under the laws of the Requested State, action to temporarily restrain, attach, immobilize, or seize the proceeds or instrumentalities pending further proceedings.

3. The Contracting Party that has custody over proceeds or instrumentalities of offenses shall dispose of them in accordance with its laws. Either Contracting Party may transfer all or part of such assets, or the proceeds of their sale, to the other Contracting Party, to the extent permitted by the transferring Party's laws and upon such terms as it deems appropriate.

Article 18

Compatibility with Other Treaties

Assistance and procedures set forth in this Treaty shall not prevent either Contracting Party from granting assistance to the other Contracting Party through the provisions of other applicable international agreements, or through the provisions of its national laws. Either Contracting Party may also provide assistance pursuant to any bilateral arrangement, agreement, or practice that may be applicable.

Article 19

Consultation

The Central Authorities of the Contracting Parties shall consult, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective use of this Treaty. The Central Authorities may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

Article 20

Ratification, Entry Into Force, and Termination

1. This Treaty shall be subject to ratification, and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

3. This Treaty shall apply to any request presented after the date of its entry into force whether the relevant acts or omissions occurred prior to or after that date.


4. Either Contracting Party may terminate this Treaty by means of written notice to the other Contracting Party. Termination shall take effect six months following the date of notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi, this 17th day of October, 2001, in duplicate, in the English and the Hindi languages. In case of divergence between the two texts, the English text shall prevail.



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA:**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA:**

Form A
CERTIFICATION OF BUSINESS RECORDS

I, _____ [name] _____, attest on penalty of criminal punishment for false statement or attestation that I am employed by/associated with _____ [name of business from which documents are sought] _____ and that my official title is _____ [official title] _____. I further state that each of the records attached hereto is the original or a duplicate of the original record in the custody of _____ [name of business from which documents are sought] _____.

I further state that:

- A) such records were made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth, by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
- B) such records were kept in the course of a regularly conducted business activity;
- C) the business activity made such records as a regular practice; and
- D) if any such record is not the original, is a duplicate of the original.

_____ [signature] _____ _____ [date] _____

Sworn to or affirmed before me, _____ [name] _____, a judicial officer, this _____ day of _____, 20 ____.

Form B

CERTIFICATION OF ABSENCE OR NONEXISTENCE OF BUSINESS RECORDS

I, _____ *[name]* _____, attest on penalty of criminal punishment for false statement or attestation that I am employed by/associated with _____ *[name of business from which documents are sought]* _____ in the position of _____ *[business position or title]* _____ and by reason of my position am authorized and qualified to make this attestation.

As a result of my employment / association with the above-named business, I am familiar with the business records it maintains. The business maintains records that are:

- A) made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth, by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
- B) kept in the course of a regularly conducted business activity; and
- C) made or kept by the business as a regular practice.

Among the records so maintained are records of individuals and entities that have accounts or otherwise transact business with the above-named business. I have made or caused to be made a diligent search of those records. No records have been found reflecting any business activity between the business and the following individuals and entities:

_____ *[date of execution]* _____

_____ *[place of execution]* _____

_____ *[signature]* _____

Form C

ATTESTATION OF AUTHENTICITY OF FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS

I, _____
[name]
_____, attest on penalty of criminal punishment for false statement or
attestation that my position with the Government of _____
[country] is _____
[official title]
_____ and that in that position I am authorized by law to attest that the documents
attached and described below are true and accurate copies of original official records which are
recorded or filed in of _____
[name of office or agency] _____, which is a government office or
agency of _____
[country] _____.

Description of Documents:

[signature]

[title]

[date]

Form D

CERTIFICATION OF ABSENCE OR NONEXISTENCE OF OFFICIAL RECORDS

I, _____
[name], attest on penalty of criminal punishment for false statement or
attestation that:

1. _____
[name of office or agency] is a government office or agency of _____
[country] and is authorized by law to maintain official records
setting forth matters authorized by law to be reported and recorded or filed;
2. records of the type described below set forth matters that are authorized by law
to be reported and recorded or filed, and such matters regularly are recorded or
filed by the above-named public authority;
3. my position with the above-named public authority is _____
[official title];
4. in my official capacity I have caused the production of true and accurate copies
of records maintained by that public authority; and
5. no such records have been found to exist therein.

Description of Documents:

[signature]

[date]

Form E

ATTESTATION WITH RESPECT TO SEIZED ITEMS

I, _____
[name]_____, attest on penalty of criminal punishment for false statement or
attestation that my position with the Government of _____
[country]_____ is _____
[official title]_____. I received custody of the items listed below from _____
[name of person]_____
_____ on _____
[date]_____, at _____
[place]_____ in the same condition as when I
received them (or, if different, as noted below).

Description of Items:

Changes in condition while in my custody:

[signature]_____

[title]_____

[place]_____

[date]_____

आपराधिक मामलों में परस्पर कार्रवाई सहयोग
के संबंध में
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार
और
भारत गणराज्य की सरकार
के बीच संधि

विषय तालिका

अनुच्छेद - एक	सहायता का क्षेत्र
अनुच्छेद - दो	केन्द्रीय प्राधिकरण
अनुच्छेद - तीन	सहायता की सीमाएं
अनुच्छेद - चार	अनुरोध का स्वरूप और उसकी विषय वस्तु
अनुच्छेद - पांच	अनुरोधों का निष्पादन
अनुच्छेद - छह	लागत
अनुच्छेद - सात	उपयोग की सीमाएं
अनुच्छेद - आठ	अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रमाण अथवा साक्ष्य
अनुच्छेद - नौ	सरकारी एजेंसियों के अभिलेख
अनुच्छेद - दस	अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के बाहर पेशी
अनुच्छेद - ग्यारह	अभिरक्षा में व्यक्तियों का अन्तरण
अनुच्छेद - बारह	अभिरक्षा में व्यक्तियों का पारगमन
अनुच्छेद - तेरह	व्यक्तियों अथवा सामानों की अवस्थिति अथवा पहचान
अनुच्छेद - चौदह	दस्तावेजों की तामील
अनुच्छेद - पन्द्रह	तलाशी और अभिग्रहण
अनुच्छेद - सोलह	मदों को लौटाना
अनुच्छेद - सत्रह	जब्त प्रक्रियाओं में सहायता
अनुच्छेद - अठारह	अन्य संधियों के साथ अनुरूपता
अनुच्छेद - उन्नीस	परामर्श
अनुच्छेद - बीस	अनुसमर्थन, प्रवर्तन और समाप्ति
फार्म 'क'	व्यावसायिक रिकार्ड का प्रमाणन
फार्म 'ख'	व्यावसायिक रिकार्डों के अभाव अथवा न होने का प्रमाणन
फार्म 'ग'	विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन
फार्म 'घ'	सरकारी रिकार्ड के अभाव अथवा मौजूद न होने का प्रमाणीकरण
फार्म 'ङ.'	जब्त की गई मदों के संबंध में साक्ष्यांकन

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है, आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता एवं सहयोग के जरिए अपराधों, जिनमें आतंकवाद, स्वापकों का गैर-कानूनी व्यापार, आर्थिक अपराध एवं संगठित अपराध भी शामिल हैं, की जांच करने, अभियोजन करने, रोकथाम करने एवं उनका दमन करने में दोनों राज्यों के विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों की प्रभावकारिता में सुधार लाने की इच्छा से;

निम्नलिखित के लिए सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद - एक सहायता का क्षेत्र

1. दोनों संविदाकारी पक्ष अपराधों की जांच करने, अभियोजन करने, रोकथाम करने और उनका दमन करने तथा आपराधिक मामलों से संबंधित कार्यवाहियों में इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, एक-दूसरे को परस्पर सहायता के पर्याप्त उपाय मुहैया कराएंगे।
2. इस सहायता में निम्नलिखित शामिल होगा:
 - (क) व्यक्तियों के साक्ष्य अथवा बयान लेना;
 - (ख) दस्तावेज, अभिलेख और साक्ष्य की वस्तुएं प्रदान करना;
 - (ग) व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तलाश करना अथवा उनकी पहचान करना;
 - (घ) दस्तावेजों की तामील करना;
 - (ङ) साक्ष्य एवं अन्य प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को अभिरक्षा में स्थानान्तरित करना;
 - (च) तलाशी और अभिग्रहण के अनुरोधों को निष्पादित करना;
 - (छ) परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण एवं जब्ती, क्षतिपूर्ति, जुर्माने की उगाही से संबंधित कार्यवाहियों में सहायता करना; तथा
 - (ज) अन्य किसी प्रकार की सहायता जिसकी अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में मनाही न हो।
3. आचरण चाहे वह अनुरोधकर्ता राज्य में जांच, अभियोजन अथवा कार्यवाही करने के अध्यक्षीन हो, अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत एक अपराध हो, का लिहाज किए बिना सहायता दी जाएगी।
4. यह संधि दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच मात्र कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से है। इस संधि के प्रावधान किसी निजी व्यक्ति को कोई साक्ष्य प्राप्त करने, उसे समाप्त करने, अथवा उसे हटाने अथवा अनुरोध के निष्पादन में बाधा डालने के अधिकार को बढ़ावा नहीं देंगे।

अनुच्छेद - दो केन्द्रीय प्राधिकरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि के अनुसार अनुरोध करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण नामित करेगा।
2. संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में केन्द्रीय प्राधिकरण महान्यायवादी अथवा महान्यायवादी द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। भारत के मामले में केन्द्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा।

3. इस संधि के प्रयोजनार्थ दोनों केन्द्रीय प्राधिकरण एक-दूसरे को सीधे सूचना दे सकते हैं।

अनुच्छेद - तीन
सहायता की सीमाएं

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण सहायता से इनकार कर सकता है यदि:
 - (क) अनुरोध सैन्य कानून के अन्तर्गत उस अपराध से संबंधित है जो सामान्य आपराधिक कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं होगा;
 - (ख) अनुरोध के निष्पादन से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सुरक्षा अथवा उसके इसी प्रकार के अनिवार्य हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;
 - (ग) अनुरोध राजनीतिक अपराध से संबंधित हो; अथवा
 - (घ) अनुरोध इस संधि के अनुरूप नहीं किया गया हो।
2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा:
 - (क) दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी एक पक्ष के राज्याध्यक्ष अथवा पक्षों में से किसी एक पक्ष के शासनाध्यक्ष के परिवार के किसी सदस्य अथवा राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के परिवार के किसी सदस्य की हत्या की गई हो अथवा इरादतन अपराध किया हो;
 - (ख) 16 दिसम्बर, 1970 को दि हेग में सम्पन्न हवाई जहाज की गैर-कानूनी रूप से जब्ती के निषेध से सम्बद्ध हेग अभिसमय में यथा वर्णित हवाई जहाज के अपहरण से संबंधित अपराध;
 - (ग) 23 सितम्बर, 1971 को मॉंट्रियल में सम्पन्न नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन से सम्बद्ध मॉंट्रियल अभिसमय में यथा- वर्णित विमानन तोड़-फोड़ के कृत्य;
 - (घ) 14 दिसम्बर, 1973 को न्यूयार्क में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों जिनमें राजनयिक एजेन्ट भी शामिल हैं, के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं सजा देने से सम्बद्ध अभिसमय में यथावर्णित अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों जिनमें राजनयिक भी शामिल हैं, के विरुद्ध अपराध;
 - (ङ) 17 दिसम्बर, 1979 को न्यूयार्क में सम्पन्न बंधक बनाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में यथावर्णित बंधक बनाना;
 - (च) 30 मार्च, 1961 को न्यूयार्क में सम्पन्न स्वापकों, नशीली दवाइयों से सम्बद्ध एकल अभिसमय, 1961, 25 मार्च, 1972 को जनेवा में सम्पन्न स्वापकों, नशीली दवाइयों से सम्बद्ध एकल अभिसमय, 1961 में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल, और 20 दिसम्बर, 1988 को वियना में सम्पन्न स्वापकों, नशीली दवाइयों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय से संबंधित गैर-कानूनी दवाइयों से सम्बद्ध अपराध।
 - (छ) आतंकवाद से सम्बद्ध बहुपक्षीय अभिसमय जिसके दोनों संविदाकारी पक्ष पक्षकार हों, के क्षेत्र में आने वाला कोई भी अपराध;
 - (ज) परवर्ती अपराधों में से किसी भी अपराध का षड्यंत्र करना अथवा अपराध करने का प्रयास करना, अथवा उस व्यक्ति की मदद करना अथवा उसे उकसाना जो ऐसे अपराधों को करता है अथवा करने का प्रयास करता है।

3. इस अनुच्छेद में सहायता के लिए इन्कार करने से पहले अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण से इस पर विचार करने के लिए परामर्श करेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियों के बाद भी सहायता देना आवश्यक समझा गया है। यदि अनुरोधकर्ता राज्य इन शर्तों के अधीन सहायता स्वीकार करता है तो उसे शर्तों का पालन करना होगा।

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण सहायता देने से इन्कार करता है तो वह अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को इन्कार के कारणों से अवगत कराएगा।

अनुच्छेद - चार
अनुरोध का स्वरूप और उसकी विषय वस्तु

1. सहायता का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा सिवाय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण तात्कालिक परिस्थितियों में अन्यथा प्रकार से किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। यदि अनुरोध लिखित रूप में नहीं है तो अनुरोध करने के बाद दस दिन के भीतर लिखित में इसकी पुष्टि की जाएगी जब तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण इसे अन्यथा स्वीकार नहीं करता है। अनुरोध अंग्रेजी में किया जाएगा बशर्ते अन्यथा सहमति न हो।

2. अनुरोध में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- (क) उस प्राधिकरण का नाम जो जांच, अभियोजन कर रहा हो, अथवा वह कार्यवाही जिससे उस अनुरोध का संबंध है;
- (ख) विषय का विवरण और जांच, अभियोजन की प्रकृति, अथवा विशिष्ट आपराधिक अपराधों सहित कार्यवाही जो उस मामले से संबंधित हो;
- (ग) साक्ष्य, सूचना का विवरण अथवा मांगी गई अन्य सहायता; और
- (घ) इस प्रयोजन का विवरण जिसके लिए साक्ष्य, सूचना अथवा सहायता मांगी गई है।

3. जहां तक आवश्यक और सम्भव हो, अनुरोध में निम्नलिखित भी शामिल होगा:

- (क) जिससे साक्ष्य मांगा गया है उस व्यक्ति की पहचान तथा उसके अते-पते के बारे में सूचना;
- (ख) वह व्यक्ति जिसे सहायता देनी है की पहचान और उसके अते-पते के बारे में सूचना, कार्यवाहियों से उस व्यक्ति का संबंध तथा दी जाने वाली सहायता का तरीका;
- (ग) जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की खोज-बीन करनी है, उसकी पहचान और उसका संदिग्ध अता-पता;
- (घ) जिस जगह अथवा व्यक्ति की खोज-बीन करनी है, और जिन वस्तुओं को जब्त करना है, उनका सही विवरण;
- (ङ.) उस पद्धति का विवरण जिसमें कोई साक्ष्य अथवा बयान लिया जाना है और रिकार्ड करना है;
- (च) गवाही के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची;
- (छ) अनुरोध को निष्पादित करने के लिए अनुपालन में लायी जाने वाली किसी विशेष क्रियाविधि का विवरण;
- (ज) जिस व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, उसको मिलने वाले भत्तों तथा खर्च के बारे में सूचना; और
- (झ) ऐसी कोई अन्य सूचना जो अनुरोध के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का ध्यान आकर्षित कर सकती है।

अनुच्छेद - पाँच
अनुरोधों का निष्पादन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोध पर तत्परता से कार्यवाही करेगा अथवा उपयुक्त पाए जाने पर उसे उसके पास भेज देगा जिसके पास कार्यवाही करने का अधिकार हो। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का सक्षम अधिकारी अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए अपनी शक्तियों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के न्यायालयों के पास सम्मन, तलाशी वारण्ट तथा अन्य आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार होगा ताकि अनुरोध निष्पादित किया जा सके।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में सहायता अनुरोध से उत्पन्न प्रत्येक प्रक्रिया में अनुरोधकर्ता राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।
3. अनुरोधों का निष्पादन अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार किया जाएगा (बशर्ते कि इस सन्धि में अन्यथा प्रावधान न हों) (परन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों का उल्लंघन न होता हो)। अनुरोध में विनिर्दिष्ट निष्पादन पद्धति का उस सीमा तक अनुपालन किया जाएगा जहां तक कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में निषेध न हो।
4. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य बैंक गुप्तता के आधार पर अनुरोध का निष्पादन करने से मना नहीं करेगा।
5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण यह निश्चित करता है कि अनुरोध के निष्पादन से उस राज्य में चल रही आपराधिक जांच, मुकदमे अथवा प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा तो वह अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद निष्पादन रोक सकता है अथवा निष्पादन को आवश्यक तय शर्तों के अधीन ला सकता है। यदि अनुरोधकर्ता राज्य शर्तों के अधीन सहायता स्वीकार करता है तो वह शर्तों का अनुपालन करेगा।
6. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध तथा उसके विषयों को गोपनीय रखने के लिए यथा-संभव बेहतर प्रयास करेगा बशर्ते अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण ने गोपनीयता रखने का अनुरोध किया हो। यदि गोपनीयता भंग किए बिना अनुरोध निष्पादित नहीं किया जा सकता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय अधिकारी को उस बारे में सूचित करेगा जो यह तय करेगा कि क्या उसके बाद भी अनुरोध निष्पादित किया जाए अथवा नहीं।
7. अनुरोध के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई यथोचित पृच्छाछ का अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण उत्तर देगा।
8. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुरोध के निष्पादन के परिणामों से तुरन्त अवगत कराएगा। यदि अनुरोध के निष्पादन से इन्कार किया जाता है, विलम्ब किया जाता है अथवा स्थगित किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण इन्कार करने, विलम्ब करने तथा स्थगित करने के कारण अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को बताएगा।

अनुच्छेद - छह
लागत

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध के निष्पादन के संबंध में सभी लागतों का भुगतान करेगा जिनमें विशेषज्ञ साक्ष्यों को छोड़कर प्रतिनिधित्व लागत, अनुवाद, निर्वचन और लिप्यन्तरण लागत और अनुसरण 10 और 11 के अनुपालन में व्यक्तियों की यात्रा से सम्बन्धित भत्ते और व्यय शुल्क और भत्ते सहित, शामिल हैं और यह व्यय अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा दिए जाएंगे।

अनुच्छेद - सात
उपयोग की सीमाएं

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अनुरोधकर्ता राज्य को यह अनुरोध कर सकता है कि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अनुरोध में दी गई बातों से इतर किसी जांच, अभियोजन, अथवा कार्यवाही में इस संधि के अन्तर्गत मांगी गई किसी जानकारी अथवा साक्ष्य का उपयोग नहीं करेगा। यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसा अनुरोध करता है तो अनुरोधकर्ता राज्य उस शर्त का पालन करेगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण यह अनुरोध कर सकता है कि इस संधि के अन्तर्गत भेजी गई जानकारी अथवा साक्ष्य को गोपनीय रखा जाए अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ही उनका उपयोग किया जाए। यदि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसी शर्तों के अधीन जानकारी अथवा साक्ष्य स्वीकार करता है तो अनुरोधकर्ता राज्य ऐसी शर्तों का जहां तक संभव होगा अनुपालन करेगा।
3. इस अनुच्छेद में निहित कोई भी बात सूचना अथवा साक्ष्य के उपयोग अथवा प्रकटन को उस सीमा तक नहीं रोकगी जहां तक कि ऐसी सूचना अथवा साक्ष्य किसी आपराधिक अभियोजन में किसी प्रतिवादी के लिए निर्दोष ठहराने लायक हो। अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को ऐसे किसी भी प्रस्तावित प्रकटन के बारे में अग्रिम सूचना देगा।
4. ऐसी कोई भी सूचना अथवा साक्ष्य जिसे पैरा-1 और 2 के अनुपालन में अनुरोधकर्ता राज्य में सार्वजनिक किया गया है उसे उसके बाद किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

अनुच्छेद - आठ
अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रमाण अथवा साक्ष्य

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उस व्यक्ति को, जिससे इस संधि के अनुसरण में साक्ष्य देने का अनुरोध किया गया है, यदि आवश्यक हुआ तो प्रमाण देने अथवा दस्तावेजों और अभिलेखों सहित वस्तुओं को पेश करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
2. अनुरोधप्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण इस अनुच्छेद के अनुपालन में प्रमाण अथवा साक्ष्य लेने की तारीख अथवा स्थान के बारे में अग्रिम सूचना देगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध के निष्पादन के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए अनुमति देगा और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण अथवा साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रश्न करने की अनुमति देगा।
4. उपरोक्त पैरा-1 में उल्लिखित यदि कोई व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उन्मुक्ति, अक्षमता अथवा विशेषाधिकार का दावा करता है तो भी साक्ष्य लिया जाएगा और उस राज्य के प्राधिकारी द्वारा समाधान के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को उस दावे की जानकारी दी जाएगी।

5. जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में निषिद्ध नहीं है, इस अनुच्छेद के अनुपालन में अनुरोधकर्ता राज्य में पेश किया गया साक्ष्य अथवा वह साक्ष्य जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत साक्ष्य के अधीन रहा है, ऐसे रूप में या ऐसे प्रमाण-पत्र के साथ, जैसाकि अनुरोधकर्ता राज्य ने अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार इसे ग्राह्य बनाने के लिए अनुरोध किया हो, भेजा जाएगा। संयुक्त राज्य के लिए ऐसे दस्तावेज, अनुरोधप्राप्त होने पर प्रपत्र 'क' द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों की अनुपस्थिति अथवा न होने को, अनुरोधप्राप्त होने पर प्रपत्र 'ख' के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेज और प्रपत्र संयुक्त राज्य में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

अनुच्छेद - नौ सरकारी एजेन्सियों के अभिलेख

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को अनुरोध से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेख प्रतियों सहित उपलब्ध कराएगा, जिसमें अनुरोधकर्ता राज्य में सरकारी विभागों और एजेन्सियों के अधिकार में किसी भी रूप में दस्तावेज अथवा जानकारी शामिल है।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी भी रूप में दस्तावेजों अथवा सूचना सहित, जो उस राज्य में किसी सरकारी विभाग अथवा एजेन्सी के पास उपलब्ध है परन्तु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अनुरोध से संबंधित किसी भी अभिलेख की प्रतियां उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अन्तर्गत उपलब्ध करा सकता है जैसाकि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के अपने कानून प्रवर्तन अथवा न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होते। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने विवेक से इस पैराग्राफ के अनुपालन में अनुरोध को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से मानने से मना कर सकता है।

3. जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अन्तर्गत निषिद्ध नहीं है, इस अनुच्छेद के अनुपालन के अनुसरण में पेश किए गए अभिलेख, अनुरोध प्राप्त होने पर, उन्हें रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे रूप में अथवा ऐसे सत्यापन के साथ, जैसाकि अनुरोधकर्ता राज्य ने अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार उन्हें ग्राह्य बनाने के लिए अनुरोध किया हो, भेजे जाएंगे। संयुक्त राज्य के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसे दस्तावेज प्रपत्र 'क' द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों की अनुपस्थिति अथवा न होने को, अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रपत्र 'ख' द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेज और प्रपत्र संयुक्त राज्य में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

अनुच्छेद - दस अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के बाहर पेशी

1. यदि अनुरोधकर्ता राज्य किसी व्यक्ति की अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के बाहर पेशी के लिए अनुरोध करता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति को इस तरह से पेश होने के लिए कहेगा। अनुरोधकर्ता राज्य यह बताएगा कि किस सीमा तक उस व्यक्ति का व्यय दिया जाएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकारी उस व्यक्ति के उत्तर की अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को तुरन्त जानकारी देगा।

2. इस संधि के अनुपालन में अनुरोधकर्ता राज्य में पेश हो रहा व्यक्ति प्रक्रिया अवधि के अधीन नहीं होगा, अथवा उसे रोका नहीं जाएगा अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर किसी ऐसे कृत्य अथवा अभिधारणाओं के कारण, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से उस व्यक्ति के चले जाने के बाद हुए हों, कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

3. इस अनुच्छेद द्वारा सुरक्षित आचरण अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुरोधकर्ता राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को इस आशय की सूचना दे देने के बाद कि उस व्यक्ति की अब और आवश्यकता नहीं है अथवा वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य से चले जाने के बाद स्वेच्छा से लौट आया है, 10 दिन के पश्चात् समाप्त हो जाएगा। अनुरोधकर्ता राज्य का केन्द्रीय अधिकारी अपने विवेक से यदि वह ऐसा करना किसी अच्छी वजह से मानता है तो इस अवधि को बढ़ा कर 20 दिन तक कर सकता है।

अनुच्छेद ग्यारह अभिरक्षा में व्यक्तियों का अन्तरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की अभिरक्षा में बंद व्यक्ति, जिसको इस संधि के अंतर्गत सहायता हेतु अनुरोधकर्ता राज्य में उपस्थित किया जाना है, को तभी अनुरोधकर्ता राज्य से अंतरित किया जायेगा जब वह व्यक्ति इसके लिए सहमति दे दे तथा दोनों राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकारी इससे सहमत हों।

2. अनुरोधकर्ता राज्य की अभिरक्षा में बंद व्यक्ति, जिसको इस संधि के अंतर्गत सहायता के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उपस्थित किया जाना है, को तभी अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से अनुरोधकर्ता राज्य में अंतरित किया जाएगा जब वह व्यक्ति उसकी सहमति दे दे तथा दोनों राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकारी इससे सहमत हों।

3. इस अनुच्छेद में प्रयोजनों के लिए :

- (क) यदि प्रेषक राज्य द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न किया गया हो, प्राप्तकर्ता राज्य को अभिरक्षा में व्यक्ति को अंतरित करने का प्राधिकार होगा एवं उसकी बाध्यता होगी:
- (ख) जैसे ही परिस्थितियां बनें अथवा दोनों प्राधिकारियों द्वारा की गई सहमति के अनुसार प्राप्तकर्ताराज्य प्रेषक राज्य की अभिरक्षा में अंतरित व्यक्ति को लौटाएगा:
- (ग) प्राप्तकर्ताराज्य प्रेषक राज्य से अंतरित किए गए व्यक्ति को लौटाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने की अपेक्षा नहीं करेगा ;
- (घ) अंतरित व्यक्ति को प्राप्तकर्ताराज्य की अभिरक्षा में बिताई गई समयावधि के लिए प्रेषक राज्य में दी गई सजा की तामील के समय में कमी की जाएगी।

अनुच्छेद बारह अभिरक्षा में व्यक्तियों का पारगमन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य अथवा तीसरे राज्य की अभिरक्षा में रखे गए उस व्यक्ति के पारगमन को प्राधिकृत कर सकता है जिसकी अनुरोधकर्ताराज्य द्वारा जांच, मुकदमा चलाने अथवा उसकी कार्यवाही में उपस्थिति का अनुरोध किया गया हो।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को उस व्यक्ति को पारगमन के दौरान अभिरक्षा में रखने का प्राधिकार होगा तथा यह बाध्यकारी होगी।

अनुच्छेद तेरह व्यक्तियों अथवा सामानों की अवस्थिति अथवा पहचान

अगर अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में व्यक्तियों अथवा सामानों की अवस्थिति अथवा पहचान के बारे में पता करना चाहता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसी अवस्थिति अथवा पहचान प्राप्त करने के भरपूर प्रयास करेगा।

अनुच्छेद चौदह
दस्तावेजों की तामील

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा सहायता के लिए किए गए किसी पूर्ण अथवा आंशिक अनुरोध से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रमावी तौर पर तामील करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा।
2. अनुरोधकर्ता राज्य में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए अपेक्षित दस्तावेज की तामील करने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य उपस्थिति की समय सीमा से पूर्व उचित समयवधि के भीतर अनुरोध भेजेगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध में विनिर्दिष्ट तौर तरीके से दस्तावेज के तामील का प्रमाण उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद पंद्रह
तलाशी और अभिग्रहण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य की किसी वस्तु की तलाशी, अभिग्रहण और सुपुर्दगी के अनुरोध को सम्पादित करेगा अगर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत ऐसे कार्य को न्यायोचित ठहराते हुए ऐसी सूचना को शामिल करता है।
2. अनुरोध करने पर प्रत्येक अधिकारी जिसके पास अभिग्रहित मद की अभिरक्षा का दायित्व है, मद की पहचान, अभिरक्षा की निरंतरता तथा उसकी परिस्थिति में किसी परिवर्तन को प्रमाणित करेगा। अमरीका के लिए ऐसा प्रमाणन अनुरोध करने पर फार्म (ड.) का प्रयोग करते हुए करेगा तथा अमरीका में साक्ष्य के दौरान ग्राह्य होगा। किसी अन्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण अपेक्षा कर सकता है कि मदों के अंतरण में तीसरे पक्ष के हितों की संरक्षा के लिए आवश्यक समझी गई शर्तों से अनुरोधकर्ता राज्य सहमत है।

अनुच्छेद सोलह
मदों को लौटाना

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण यह अपेक्षा करेगा कि अनुरोधकर्ता राज्य इस संधि के अंतर्गत अनुरोध के निष्पादन में उसे दिए गए दस्तावेजों और रिकार्डों सहित कोई मद लौटाएगा।

अनुच्छेद सत्रह
जब्त की प्रक्रियाओं में सहायता

1. यदि किसी एक संविदाकारी पक्ष के केन्द्रीय प्राधिकरण को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ और माध्यमों की जानकारी मिलती है और जिसे उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है, तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के केन्द्रीय प्राधिकरण को सूचना दे सकता है। यदि अन्य संविदाकारी पक्ष इसे न्यायसंगत मानता है तो समुचित कार्रवाई किये जाने के लिए वह इस सूचना को अपने प्राधिकारियों को संप्रेषित कर सकता है। ये प्राधिकारी अपने देश के नियमों के अनुरूप अपना निर्णय जारी करेंगे और अपने केन्द्रीय प्राधिकारी के जरिए की गई कार्रवाई की सूचना दूसरे संविदाकारी पक्ष को देंगे।

2. संविदाकारी पक्ष अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ और माध्यमों की जब्ती, अपराध से पीड़ितों के प्रत्यास्थापन तथा आपराधिक मुकदमों में सजा के रूप में लगाये गये जुर्माने के संग्रहण में एक दूसरे की सहायता करेंगे । इसमें, जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत उचित हो, कार्यवाही के चलने की अवधि तक आर्थिक लाभ और माध्यमों को कुर्क करने, उपयोग बंद करने अथवा जब्त करने से अस्थायी तौर पर परहेज करना शामिल है ।

3. वह संविदाकारी पक्ष जिसके पास अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ और माध्यम हैं, अपने कानूनों के अनुरूप उसका निपटारा करेगा । दोनों में से कोई संविदाकारी पक्ष ऐसी सभी संपत्तियों अथवा संपत्तियों के भाग को अथवा उनकी बिक्री से प्राप्त आय को हस्तांतरित करने वाले पक्ष के कानूनों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक तथा उन शर्तों पर, जो वह उपयुक्त समझे दूसरे संविदाकारी पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है ।

अनुच्छेद अठारह अन्य संधियों के साथ अनुरूपता

इस संधि में उल्लिखित सहायता और प्रक्रियाएं किसी संविदाकारी पक्ष को लागू होने वाले अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करारों अथवा अपने राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को सहायता प्रदान करने से नहीं रोकेंगी । कोई भी संविदाकारी पक्षकार लागू होने वाले किसी द्विपक्षीय करार, करार अथवा प्रथा के अनुरूप भी सहायता प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद उन्नीस परामर्श


संविदाकारी पक्षों के केन्द्रीय प्राधिकरण आपसी सहमत तिथियों पर एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ताकि इस संधि का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके । केन्द्रीय प्राधिकरण ऐसे व्यवहारिक उपायों पर भी सहमत हो सकते हैं जो इस संधि के कार्यान्वयन को सहज बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अनुच्छेद बीस अनुसमर्थन, प्रवृत्त होना और समाप्ति

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथासंभव शीघ्र किया जाएगा ।
2. यह संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान प्रदान किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
3. यह संधि सभी अनुरोधों पर लागू होगी जो संधि के प्रवृत्त होने के पश्चात किए गए हों चाहे संबद्ध कृत्य अथवा गलती उस तिथि के पहले हुई हो अथवा बाद में ।
4. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है । यह समाप्ति अधिसूचना की तिथि के छह माह के बाद प्रभावी होगी ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर इस पर हस्ताक्षर किये हैं ।

नई दिल्ली में आज ईसवी सन् दो हजार एक के अक्तूबर माह के सत्रहवें दिन अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं के दो-दो पाठों में संपन्न; दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।



संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार
की ओर से



भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

फार्म 'क'
व्यावसायिक रिकार्डों का प्रमाणन

मैं..... झूठे बयान अथवा सत्यापन के लिए आपराधिक सजा के
(नाम)

दण्ड को सत्यापित करता हूँ कि मैं.....में कार्यरत हूँ / का

(जिस व्यवसाय से संबंधित कागजात मांगे गए)

सहयोगी हूँ तथा यह कि मेरा सरकारी पदनाम..... है । यह भी बताता हूँ कि

(सरकारी पद नाम)

इसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज मूल दस्तावेज है अथवा..... की

(जिस व्यवसाय से संबंधित कागजात मांगे गए हैं)

अभिरक्षा में रखे गए मूल दस्तावेज की अनुलिपि है ।

2. मैं यह भी बताता हूँ कि

(क) ऐसे रिकार्ड उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसे मामलों की जानकारी है, कहे गये मामलों की घटना के समय अथवा घटना के आसपास के समय (अथवा उसके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर) तैयार किये गये थे ;

(ख) ऐसे रिकार्ड नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान रखे गये थे ;

(ग) ऐसे रिकार्डों को व्यावसायिक गतिविधियों में एक नियमित प्रथा के रूप में रखा जाता है;

(घ) यदि किसी रिकार्ड की मूल प्रति नहीं है तो मूल की अनुलिपि ।

.....
हस्ताक्षर

.....
तारीख

आज वर्ष 2000 के माह के वे दिन.....

नामक न्यायिक अधिकारी के समक्ष शपथ ली अथवा अभिपुष्टि की ।

फार्म 'ख'

व्यावसायिक रिकार्डों के अभाव अथवा न होने का प्रमाणन

मैं..... जो

(नाम)

(व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम जहाँ से दस्तावेज मांगे गये हैं)

ये पद पर कार्यरत हूँ/का सहयोगी हूँ तथा अपनी स्थिति के कारण सत्यापित
(व्यावसायिक स्थिति)

करने के लिए प्राधिकृत हूँ और अर्हक हूँ, गलत बयान अथवा सत्यापन के लिए आपराधिक सजा के दण्ड को सत्यापित करता हूँ। उपर्युक्त व्यवसाय में कार्यरत होने/से संबद्ध होने के कारण मैं इसके द्वारा रखे जाने वाले व्यावसायिक रिकार्डों से अवगत हूँ। यह व्यवसाय उन रिकार्डों को रखता है जो कि :

(क) उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसे मामलों की जानकारी है, कहे गये मामलों की घटना के समय अथवा घटना के आस-पास के समय(अथवा उसके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर) तैयार किये गये थे ;

(ख) ये नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान रखे गये थे ;

(ग) इन्हें व्यावसायिक गतिविधियों में एक नियमित प्रथा के रूप में तैयार किया अथवा रखा गया

इस प्रकार रखे गये रिकार्डों में वे रिकार्ड हैं जो उन अलग-अलग व्यक्तियों और ईकाइयों के हैं, जिनके उपर्युक्त व्यवसाय के साथ लेखे हैं अथवा जिसका उनके साथ व्यावसायिक संबंध है। मैंने उन रिकार्डों की परिश्रम से छानबीन की अथवा मुझसे करायी गयी। उपर्युक्त व्यवसाय और निम्नलिखित व्यक्तियों और ईकाइयों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाने वाला कोई रिकार्ड नहीं पाया गया ;

.....
.....
.....

(निष्पादन की तारीख)

(निष्पादन का स्थान)

हस्ताक्षर

फार्म 'ग'

विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन

मैं झूठे बयान या साक्ष्यांकन के लिए आपराधिक दण्ड

(नाम)

के जुर्माने को प्रमाणित करता हूँ कि मैं में

(देश)

(पद)

पद पर कार्यरत हूँ और इस पद पर मुझे नीचे दिए गए और संलग्न दस्तावेजों की मूल सरकारी रिकार्डों की सत्य और सही प्रतियाँ सत्यापित करने के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है जो में अभिलिखित या दायर किए गए हैं,

(कार्यालय/एजेंसी)

जो का सरकारी कार्यालय या अभिकरण है।

(देश)

दस्तावेजों का विवरण

हस्ताक्षर

पद

तारीख

फार्म 'घ'

सरकारी रिकार्डों के अभाव अथवा मौजूद न होने का प्रामाणीकरण

मैं झूठे बयान या सत्यापन के लिए आपराधिक दण्ड के
(नाम)
जुर्माने को प्रमाणित करता हूँ कि:

1. सरकारी कार्यालय है
(कार्यालय या अभिकरण का नाम)

अथवा का अभिकरण है और जिसे प्रतिवेदित और
(देश का नाम)

अभिलिखित या दायर किए गए कानून द्वारा प्राधिकृत घोषित मामलों के सरकारी रिकार्डों के रखरखाव
के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;

2. नीचे बताए गए प्रकार के निर्धारित मामलों का रिकार्ड जिन्हें प्रतिवेदन और अभिलेख या दायर
किए जाने के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है, और ऐसे मामलों को उपरोक्त नाम से
सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से अभिलेख या दायर किया जाता है;

3. उपरोक्त नाम के सार्वजनिक प्राधिकरण में मेरा पद है,
(कार्यालय स्थिति)

4. अपनी कार्यालयी हैसियत से मैंने उस सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखे गए रिकार्डों की सत्य
और सही प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

5. इस समय इस तरह का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है ।

दस्तावेजों का विवरण:

हस्ताक्षर
तारीख

फॉर्म 'ड.'

जब्त की गई मदों के संबंध में साक्ष्यांकन

मैं झूठे बयान या सत्यापन के लिए आपराधिक दंड के
(नाम)
जुर्माने को प्रमाणित करता हूँ कि मैं सरकार
(देश)
में पद पर हूँ । मैंने
(हैसियत) (स्थान)
से को से नीचे दी गई मदें उसी
(तारीख) (व्यक्ति)
दशा में जैसी हैं प्राप्त की (अथवा, यदि अलग हैं, नीचे दी गई हैं) कब्जे में ली हैं ।

मदों का विवरण:

मेरे जब्त करने के दौरान
दशा में हुआ परिवर्तन

हस्ताक्षर
पद
स्थान
तारीख